बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0
खाद्य भवन, दरोगा राय पथ ,आर ब्लॉक,रोड नं0–2,पटना 800001

स्मार–पत्र

पत्रांक– 6979 पटना/दिनांक– 07/06/

प्रेषक,

गंगा कुमार
प्रबन्ध निदेशक,

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
राज्य खाध निगम, बिहार।

विषयः– खादयान्न ढ़ोनेवाले वाहनों में जी० पी० एस० बंद पाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निगम मुख्यालय के पत्रांक 13130, दिनांक 16.10.2015 का स्मरण किया जाय। पुनः सुचित करना है कि जिलो में खादयान्न ढुलाई में प्रयुक्त जी० पी० एस०युक्त वाहनो की मॉनिटरिंग M/S 4-G Identity Solution pvt ltd द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नित्य किया जा रहा है तथा आपके जिला से संबंधित वाहनो में जी० पी० एस० बंद पाये जाने के संदर्भ में एस0 एम0 एस0 (sms) द्वारा आपको नित्य सूचना दी जा रही है।

मुख्यालय स्तर से निर्गत पत्रों तथा मॉनिटरिंग से स्पष्ट होता है निगम के प्रायः सभी जिलों में खादयान्न ढुलाई में प्रयुक्त किसी न किसी वाहन में या तो जी० पी० एस० बंद पाया जाता है या वाहन का रूट बदल कर गंतव्य स्थान पर काफी विलम्ब से पहुँच रहा है जो गड़बड़ी की प्रबल आशंका की ओर इंगित करता है।

ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय खाध सूरक्षा अधिनियम के तहत यह आवश्यक है कि नियमानुसार आपके स्तर पर इसकी सार्थक मॉनिटरिंग नित्य हो। इसके लिए एस0 एम0 एस0 द्वारा नित्य सूचना भेजे जाने के अतरिक्त आपके अधीन जिला स्तर पर भी M/S 4-G Identity Solution pvt ltd द्वारा एक कन्ट्रोल रूम का संचालन किया गया है जहॉं नित्य जी० पी० एस० ट्रेकिंग टी0 भी0 स्क्रीन पर देखा जा सकता है। फिर भी इससे संबंधित पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आपके द्वारा समय पर निगम मुख्यालय को नही भेजा जाना कई आशंकाओं को जन्म देता है। साथ ही पूर्व में किए गए जाँच प्रतिवेदन में हमेशा यह बताया जाता है कि खादयान्न गोदाम में पहुँच गया है जबकि इसके अलावा महत्वपूर्ण यह भी है कि बिना जिला पदाधिकारी के स्वीकृति से route diversion किसी भी स्थिति में न किया जाय।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि खादयान्न ढुलाई में प्रयुक्त वाहन में जी० पी० एस० अनिवार्य रूप से लगा हुआ हो, वाहनो के परिचालन के दौरान इनके रास्ते में हो रहे परिवर्तन, रूकावट तथा जी० पी० एस० ऑफ होने की स्थिति की जॉच अपने स्तर से करें।

(i) ऐसा क्यो हुआ है ? (ii) इसके लिए कौन दोषी है ? (iii) आपके स्तर से कौन सी कार्यवाई हुई ? और नही हुई तो क्यों ? से संबंधित प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा के साथ घटना की तिथि से चौबीस घंटों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित की जाय ताकि संबंधित परिवहन अभिकर्ताओं द्वारा अगर एकरारनामा का उल्लंघन किया गया है तो उनपर नियमानुकुल कार्यवाई की जा सके। जॉच प्रतिवेदन समय पर नही मिलने की जिम्मेवारी तय की जाएगी साथ ही खादयान ढुलाई में हुई अनियमितता में आपकी सहभागिता मानी जायेगी तथा आपसे राशि की वसूली की जाएगी।

विश्वासभाजन

प्रबन्ध निदेशक

(कृ० प० उ०)

ज्ञापांक :– 6979 दिनांक :– 07/06/16

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक :– 6979 दिनांक :– 07/06/16

प्रतिलिपिः– Project Manager 4-G Identity Solution Pvt. LTD. राज्य खाद्य निगम मुख्यालय पटना/सभी IT Manager 4-G Identiy Solution Co सभी जिला कार्यालय राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक